भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं 2121**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 13 दिसंबर 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात के रुझान और प्रभाव

2121 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कृषि निर्यात की शीर्ष दस वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि निर्यात वर्ष 2022-23 में 53.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2023-24 में और वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कृषि निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) रूस- यूक्रेन युद्ध, हूती हमलों आदि से आपूर्ति में व्यवधान के कारण कृषि निर्यात पर वैश्विक कीमतों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) कृषि निर्यात पर सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार की किस तरह से कृषि निर्यात से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और किसानों की मदद करने की योजना है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) वर्ष 2023-24 के लिए कृषि वस्तुओं (शीर्ष दस) के निर्यात का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) किसी वर्ष के दौरान कृषि निर्यात का मूल्य, अन्य बातों के अलावा, देश के भीतर निर्यात योग्य अधिशेष, वस्तुओं की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों और उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग पर निर्भर करता है। वर्ष 2022-23, 2023-24 के लिए कृषि निर्यात का मूल्य अनुबंध-II में दिया

गया है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 की पहली छमाही के लिए कृषि निर्यात का मूल्य अनुबंध-III में दिया गया है।

निर्यात प्रतिबंधों ने वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि निर्यात के मूल्य में कमी लाने में योगदान दिया है। हालांकि, सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर कृषि उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है । इसके अलावा, हालांकि युद्ध, हूती हमले आदि जैसी बाहरी घटनाएं आपूर्ति श्रृंखलाओं, लोजिस्टिक्स और इसके परिणामस्वरूप कीमतों को प्रभावित करती हैं, लेकिन निर्यात के मूल्य पर इसके प्रभाव का दायरा, यदि कोई हो, को अलग नहीं किया जा सकता है।

(च) वाणिज्य विभाग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के तहत देश भर से एपीडा के सदस्य निर्यातकों को निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

i. **अवसंरचना विकास की स्कीम** - पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैकहाउस सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग यूनिट, केले जैसी फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल सिस्टम, विकिरण, वाष्प ताप उपचार, गर्म पानी डिप उपचार जैसी शिपमेंट-पूर्व उपचार सुविधाएं और सामान्य अवसंरचना सुविधाएं, रीफर वैन और व्यक्तिगत निर्यातकों के मौजूदा अवसंरचना में कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता।

ii. **गुणवत्ता विकास की स्कीम** - प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, ट्रेसिबिलिटी के लिए खेत स्तर के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस और पानी, मिट्टी, अवशेषों और कीटनाशकों आदि की जांच के लिए वित्तीय सहायता।

iii. **बाजार संवर्धन की स्कीम** - सहायता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानक विकसित करना और मौजूदा मानकों को उन्नत करना शामिल है।

वाणिज्य विभाग, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

****

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध - I

कृषि वस्तुओं का निर्यात (शीर्ष 10)	
	मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में
उत्पाद का नाम	**2023-24**
समुद्री उत्पाद	7366.98
गैर-बासमती चावल	4570.05
चीनी	2822.25
बासमती चावल	5837.13
मसाले	4245.99
भैंस का मांस	3740.16
ऑयल मील्स	1712.28
गेहूँ	56.66
विविध प्रसंस्कृत मदें	1652.22
अरंडी का तेल	1070.66
अन्य	15,683.10
कुल	**48,757.48**

स्रोत: डीजीसीआईएवंएस

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध– II

कृषि वस्तुओं का निर्यात (शीर्ष 10)			
			मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में
उत्पाद का नाम	**2022-23**	**2023-24**	**वृद्धि का %**
समुद्री उत्पाद	8077.97	7366.98	-8.80
गैर-बासमती चावल	6355.75	4570.05	-28.10
चीनी	5770.64	2822.25	-51.09
बासमती चावल	4787.5	5837.13	21.92
मसाले	3787.08	4245.99	12.12
भैंस का मांस	3193.69	3740.16	17.11
ऑयल मील्स	1600.9	1712.28	6.96
गेहूँ	1519.69	56.66	-96.27
विविध प्रसंस्कृत मदें	1418.67	1652.22	16.46
अरंडी का तेल	1265.64	1070.66	-15.41
अन्य	15,337.91	15,683.10	2.25
कुल	**53,115.44**	**48,757.48**	**-8.20**

स्रोत: डीजीसीआईएवंएस

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2121 के भाग (ख) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध–III

कृषि वस्तुओं का निर्यात (शीर्ष 10)			
			मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में
उत्पाद का नाम	**2023-24 (अप्रैल-सितम्बर)**	**2024-25 (अप्रैल-सितम्बर)**	**वृद्धि का %**
समुद्री उत्पाद	3803.88	3384.47	-11.03
गैर-बासमती चावल	2706.58	2250.71	-16.84
बासमती चावल	2589.98	2869.65	10.80
मसाले	1949.78	2092.23	7.31
भैंस का मांस	1734.4	1806.13	4.14
चीनी	1302.06	1108.41	-14.87
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ	828.77	875.24	5.61
ऑयल मील्स	786.02	695.28	-11.54
कॉफी	631.2	932.03	47.66
अरंडी का तेल	544	621.17	14.19
अन्य	6,733.91	7,103.48	5.49
कुल	**23,610.58**	**23,738.80**	**0.54**

स्रोत: डीजीसीआईएवंएस